तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28-03-18	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु.पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा.पं. पालड़ी में दिनांक 18/5/18 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी, टोंक
देवलाल रामसहाय	
18-05-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत शिविर मे पेश हुई। प्रार्थनापत्र के अनुसार ख.न. 93/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम मोहम्मदनगर तहसील टोंक का प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार है। प्रतिपक्षीगण जबरन बेदखल करने पर अमादा है तथा मजाहमत करते है। अतः वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी संवत 2072–75 के अनुसार प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और प्रथम दृष्टया विवादित भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबधं प्रतीत नही होता है। अतः वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि किसी भी प्रकार से प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमि मे मजाहमत नही करे, फसल काटने बोनी आदि मे रूकावट पैदा नही करे, प्रार्थी को बेदखल नही करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद मे शामिल हो। (पिंकी मीणा) उपखण्ड अधिकारी, टोंक उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner